5 रु. Rs.5 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

जिला ग्वालियर

निगरानी 587-PBR-

प्र. क्र. निगरानी / अध्यक्ष / /2015 निगरानी

श्री विवेक श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 19-3-15 को प्रस्तुत
19-3-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

19/3/15

अशोका फिनकैप (एम0पी0) प्रायवेट लिमि0जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि श्री रामकिशोर गुप्ता पुत्र श्री राधाकिशन गुप्ता निवासी जगन भैया की गली माधौगंज लश्कर ग्वा0 ....प्रार्थी

बनाम

1. शिखा गृहनिर्माण सहकारी समिति मर्यादित ग्वालियर द्धारा अध्यक्ष समरवीरसिंह भदौरिया पुत्र श्री शिवराजसिंह भदौरिया निवासी सिंधी कॉलोनी कम्पू लश्कर ग्वा0
2. हरनारायण सविता
3. हरविलास सविता
4. प्रकाशचन्द्र सविता पुत्रगण नामालूम निवासी सुर्वे का बाग लश्कर ग्वालियर म0प्र0
5. आदर्श आवास विकास प्रा0लि0कुशवाह कॉम्पलेक्स एल0आई0सी0बिल्डिंग तानसेन रोड ग्वा0 द्धारा डायरेक्टर आदर्श सिंह कुशवाह पुत्र श्री जयसिंह कुशवाह निवासी कुशवाह कॉम्पलेक्स एल0आई0सी0बिल्डिंग तानसेन रोड ग्वालियर म0प्र0
6. श्रीमती पुष्पमाला उर्फ शुर्मिष्ठा सुर्वे पत्नि श्री तात्यासाहब सुर्वे उर्फ मलाहार राव निवासी चीफ बिला कम्पूलश्कर ग्वा0.....प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय तहसीलदार तहसील ग्वालियर के प्रकरण कमांक 73/2014–15/अ–6 (रिव्यू आवेदन–पत्र) में पारित आदेश दिनांकी 29.01.2015 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 587–पीबीआर/15 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–6–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 29–1–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 27–10–2014 को प्रकरण स्थगित रखने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के पुनर्विलोकन हेतु आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे उभय पक्ष को सुनकर प्रकरण में आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात निरस्त किया गया । उक्त कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	